

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.  
// आम सूचना //

क्रमांक-9 / विविध / 2020

विदिशा दि. 14.04.2020

14 समस्त अभिभाषकों एवं पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दि. 14.04.2020 को घोषित संपूर्ण भारत में लॉकडाउन होने के कारण रजिस्ट्री जबलपुर के पत्र क्रं0 क्यू-6 दिनांक 14.04.2020 के पालन में दि0 15.04.2020 से दि0 03.05.2020 तक (उपरोक्त दिवसों के मध्य सभी सार्वजनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुये) अकार्य दिवस घोषित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जिला विदिशा के समस्त न्यायालयों में (रिमांड एवं जमानत/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में पृथक से आदेश पारित किये गये हैं।) न्यायिक कार्य बंद रहेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
विदिशा